कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

पूर्व पत्र क्रमांक कृ0&भू0/2024/नीलामी/900-1500 दिनांक 05/04/2024 के संदर्भ में। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि टटीयाना-II और अरनौली भूमि की नीलामी 03/05/2024 के बजाय 09/05/2024 को दोपहर 12:00 बजे और 02:00 बजे क्रमशः आयोजित की जाएगी। बोली के नियम, शर्ते व कार्यक्रम, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट: www.kuk.ac.in पर उपलब्ध है | बोली से सम्बंधित जानकारी भूमि एवं कृषि विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से भी प्राप्त की जा सकती है |

01/05/24

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज
(भूमि एवं कृषि विभाग)
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,कुरुक्षेत्र

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें |
श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर) 09813424742

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र

नीलामी सूचना

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, तहसील गुहला (कैथल) के भिन्न-भिन्न गांवों की जमीन की बोली विश्वविद्यालय परिसर के ओडिटोरियम के क्रश हाल (Crush Hall) में खुलेआम क्रमानुसार काश्त के लिए बतौर लाइसैंस पर दी जाएगी |

क्रम. सं०	स्थान / गांव का नाम	रकबा		बोली की तिथि	समय
		कनाल	मरला		
1.	ककेडी	202	19	09-05-2024	प्रात: 10 बजे
2.	टटीयाना भाग – 2	38	02	09-05-2024	दोपहर 12 बजे
3.	अरनौली	198	04	09-05-2024	दोपहर 02 बजे

बोली की शर्ते :

1. बोली के समय पर केवल बोली दाता को ही प्रवेश दिया जाएगा |
2. भूमि एक साल के लिए बतौर लाइसैंस पर दी जा रही है | एक साल के लिए लाइसैंस की पूरी रकम बोली की समाप्ति पर जमा करवानी होगी |
3. भारत सरकार के नियमानुसार कोई भी व्यक्ति या संस्था 2,00,000/- रूपये से अधिक नगद का लेन-देन नही कर सकता | इसलिए सफल बोली दाता को पूरी रकम RTGS के रूप में कुलपति महोदय के खाता न0 10139650221 बैंक का कोड IFSC- SBIN0001600 भारतीय स्टेट बैंक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उसी दिन जमा करवानी होगी |
4. बोली की रकम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खाते में आने के बाद ही सफल बोली दाता कृषि योग्य भूमि को लाइसैंस पर लेने का हकदार होगा |
5. सबसे अधिक बोली देने वाले व्यक्ति को विश्वविद्यालय की भूमि दूसरे व्यक्ति को देने का हक नही होगा |
6. लाइसैंस का समय 15-05-2024 से 14-05-2025 तक होगा | लाइसैंसदार को भूमि एक साल के समय की समाप्ति पर खाली करनी होगी और लाइसैंस की समाप्ति के आखिरी दिन के बाद यानि 14-05-2025 को विश्वविद्यालय का कब्जा होगा | इसके बाद यदि भूमि में कोई भी फसल खडी होगी अथवा खेती के औजार मशीन आदि लगी रह जाएगी तो उस पर विश्वविद्यालय का अधिकार होगा तथा लाइसैंसदार को कोई हक नही होगा कि वह अपने सामान को उठा सके |
7. लाइसैंसदार को भूमि में से मिट्टी उठाने की इजाज़त नही होगी |
8. भूमि पर किसी किस्म के नाजायज कब्जे की जिम्मेदारी लाइसैंसदार की होगी |
9. लाइसैंसदार को अपने खर्चे पर पानी की नालियाँ आदि बनानी होगी |
10. लाइसैंसदार केवल कृषि कार्यो के लिए ही भूमि का इस्तेमाल कर सकेगा |
11. लाइसैंसदार को बोली का शर्तनामा लिखवाने के लिए 200/- रूपये का स्टाम्प पेपर दफ्तर में देना होगा |
12. ऐसे व्यक्ति को बोली देने का अधिकार नही होगा, जिसनें अभी तक पिछला बकाया रुपया नही दिया है | यदि वह मौके पर पिछला रूपए जमा करा देता है तो उसे बोली देने का अधिकार दिया जाएगा |
13. जिन गांवों में विश्वविद्यालय ने ट्यूबवैलो पर बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है लाईसैंसदार को बिजली का वर्षभर का खर्च बिजली विभाग की दरोनुसार अग्रिम जमा करना होगा |
14. यदि किसी लाईसैंसदार ने अपनी मर्जी से कोई भी ट्यूबवैल लगवाया या भूमि पर कोई भी अन्य कार्य लाईसैंस के समय में करवाया गया तो उसका खर्चा लाईसैंसदार स्वयं वहन करेगा ना की कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय |
15. जिस गांव में बिजली द्वारा संचालित ट्यूबवैल लगवाये गये है उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी स्वयं लाईसैंसदार की होगी और वह ट्यूबवैल तथा उससे सम्बंधित मशीनरी इत्यादि ठेके की समाप्ति पर चालू-हालत देनी होगी | लाईसैंसदार को ट्यूबवैल चलती हालत में लेते समय रुपयें 25,000/- व जिस गांव में दो ट्यूबवैल है उसके 50,000/- की धरोहर राशी नकद भूमि एवं कृषि विभाग में जमा करानी होगी | ठेके की समाप्ति पर चलती हालत में ट्यूबवैल देने पर धरोहर राशी वापिस कर दी जाएगी |

16. लाईसैंसदार को बिजली का बिल बिजली विभाग में जमा करना होगा और रसीद भूमि एवं कृषि विभाग को दिखानी होगी व ट्रांसफोर्मर को लाईसैंस समय में कोई भी किसी किस्म का नुकशान होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद/स्वयं लाईसैंस धारक की होगी |

17. बोली शुरू होने के बाद कोई भी बोलीदाता कमरे से बाहर नही जाएगा | जब तक बोली समाप्त नही हो जाएगी | अगर कोई बोलीदाता बाहर जाएगा तो उसको बोली देने का अधिकार नही होगा |

18. अगर कोई बोलीदाता बोली के समय में एक दूसरे से झगड़ा या मारपीट, गाली-गलोच आदि करेगा तो उसकी सिक्यौरिटी जपत कर ली जाएगी और उसको बोली से बाहर कर दिया जाएगा ऐसे बोलीदाता को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है और उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई भी की जा सकती है |

19. किसी भी बोलीदाता या अन्य को बोली के समय में किसी भी तरह का हथियार लाने का अधिकार नही होगा अगर किसी के पास हथियार है तो बोली से पहले आदर्श थाना KUK में जमा करवाना होगा |

20. किसी भी लाइसैंसी को ट्यूबवैल के बोर में वर्षा का पानी या अन्य पानी उतारने का हक नही होगा, अगर ऐसा किया तो ट्यूबवैल का पूरा खर्चा लाइसैंसी को देना होगा अन्यथा उसके खिलाफ क़ानूनी कारवाई की जाएगी |

21. अगर लाइसैंसी के समय में ट्रांसफोर्मर या अन्य कोई सामान चोरी होता है तो उसका खुद लाइसैंसी जिम्मेवार होगा |

22. कोई भी लाइसैंसी अपनी फसल के अवशेषों (फणे ठूठ आदि) को नहीं जलायेगा। क्योंकि यह कानूनी अपराध है अगर कोई लाइसैंसी दोषी पाया जाता है या उस पर कोई कानूनी कार्यवाही होती है तो वह लाइसैंसी स्वयं जिम्मेदार होगा |

23. यदि अन्य कोई शर्त होगी तो वह बोली के समय सुना दी जाएगी |

24. माननीय कुलपति महोदय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र को पूर्ण अधिकार होगा कि वह किन्ही कारणों से अत्याधिक बोली को भी रद्द कर सकते है |

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करें |

श्री सुखबीर सिंह (फार्म सुपरवाइजर) 09813424742

01/05/24

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)

पु.क्र.:कृ0&भू0/2024/नीलामी/ 1547 - 1597 **दिनांक** 01/05/2024

प्रतिलिपि प्रेषित :

1 डिप्टी कमिशनर व पुलिस अधिक्षक, कुरुक्षेत्र, कैथल |

2 एस. डी. एम., डी.एस.पी.; तहसीलदार, बी.डी.ओ. तथा सचिव नगरपालिका, थानेसर, गुहला |

3 उपरोक्त भूमि से सम्बंधित पटवारी, सरपंच, नम्बरदार, चौकीदार तथा पिछले काश्तकार गांव के सरपंच तक प्रार्थना की जाती है कि वे अपने गांव में मुनादी करवाकर सभी को सुचना दें देवे | इसकी फ़ीस चौकीदार को बोली के समय मौके पर दे दी जाएगी ताकि बोली में ज्यादा से ज्यादा बोलीदाता पहुच सके |

4 एक प्रति निजि सचिव कुलपति महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है |

5 एक प्रति सहायक रजिस्ट्रार दफ्तर कुल सचिव, कुल सचिव महोदय को जानकारी हेतु प्रस्तुत है |

प्रौफ़ेसर इन्चार्ज

(भूमि एवं कृषि विभाग)